## ग्राम पंचायत बीरता, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

**भाग-एक**

**1. प्रस्तावना**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बीरता, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "04/21 से 03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-**

**प्रधान:-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती बिंदु कुमारी | 01-04-21 से 31-03-23 |

**सचिव :-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री संजय कुमार | 01-04-21 से 31-08-21 |
| 2. | श्री दलजीत सिंह | 01-09-21 से 31-03-23 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत बीरता के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

| क्रम संख्या | पैरा सं० | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | 17.79 |
| 2. | 6 | प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना | 3.03 |
| 3. | 7 | गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना | 3.63 |
| 4. | 8 | खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि | 0.90 |
| 5. | 12 | प्रत्येक क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना | 12.25 |
| 6. | 16 | विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामान की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक/अनियमित भुगतान/व्यय करना | 0.02 |

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-**

प्राय: यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है :-

**अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2019 से 03/2021" तक**

| क्रम संख्या | पैरा संख्या | पैरा स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 4 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 5.1 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 5.2 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 6 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 7 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 8.1 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित |
| 8 | पैरा 8.2 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित |
| 9 | पैरा 9 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित |
| 10 | पैरा 10 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 11 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 12 | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 13 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 14 | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 16 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा 17 | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 18 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 19 | अनिर्णीत | |

## भाग – दो

**2. वर्तमान अंकेक्षणः-**

ग्राम पंचायत बीरता, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा

दिनाँक 15-01-2024 से दिनांक 23-01-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, बीरता में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

| **वित्तीय वर्ष** | **आय** | **व्यय** |
|---|---|---|
| 2021-22 | 08/21 | 07/21 |
| 2022-23 | 03/23 | 09/22 |

**अस्वीकरण:-** वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

**3. अंकेक्षण शुल्क**:-

ग्राम पंचायत बीरता, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹6,400**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 165(C) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बीरता से अनुरोध किया गया।

**4. वित्तीय स्थिति**:-

ग्राम पंचायत बीरता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

**(क) स्वः स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत बीरता के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| **2021-22** | 172694.00 | 135631.77 | 308325.77 | 241944.00 | 66381.77 |
| **2022-23** | 66381.77 | 31350.00 | 97731.77 | 90049.00 | 7682.77 |

{ख} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत बीरता के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| **2021-22** | 1014599.25 | 7608340.30 | 8622939.55 | 6982019.80 | 1640919.75 |
| **2022-23** | 1640919.75 | 9335056.00 | 10975975.75 | 9196808.30 | 1779167.45 |
| Note:-Due to commission, ₹810639 of 15th FC had not been reflected during last audit by the GP | | | | | |

{ग} **दिनाकं 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-**

| क्रम संख्या | शीर्ष | बैंक का नाम | खाता संख्या | राशि |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | General/5th FC/VKVNY/SDRF | KCCB KANGRA | 20033022824 | 275172.02 |
| **2.** | 14TH FC | HDFCB KANGRA | 50100174100714 | 0.00 |
| **3.** | VKVNY | IDBIB KANGRA | 1159104000057600 | 299.00 |
| **4.** | 15TH FC | HDFCB KANGRA | 50100347348792 | 1503368.20 |
| **5.** | हस्तगत रोकड़ | | | 456.00 |
| **कुल योग** | | | | **1779295.22** |

### 4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

| Bank reconcilation | | |
|---|---|---|
| | Balance as per Cash Book as on 31.03.2023 | 1786850.22 |
| **less** | On dated 01.04.2023 Interst Amount of RS. 7555 of 15th FC has been credited into bank but recorded in cash book on dated 31.03.2023 | 7555.00 |
| | **Total** | **1779295.22** |
| | Balance as per Pass Book as on 31.03.2023 | **1779295.22** |

### 4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

### 4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की

खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है। अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने औचित्य स्पष्ट किया जाए। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

**5. अनुदान राशि ₹17.79 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-**

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-क}** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹1779167.45 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165A(1) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बीरता से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को अंकेक्षणावधि के दौरान व्यय न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**6. प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹3.03 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-**

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें

पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ों में निम्न अंतर पाया गया:-

**(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (except manrega)**

| क्रम स. | माह | प्राप्ति | | | भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रियासॉफ्ट के अनुसार | रोकड़ बही के अनुसार | अंतर | प्रियासॉफ्ट के अनुसार | रोकड़ बही के अनुसार | अंतर |
| 1 | 7/21 | 66332.00 | 7771.00 | 58561.00 | 150822.00 | 100822.00 | 50000.00 |

**(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA)**

| क्रमस. | वर्ष | प्राप्ति | | | भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रियासॉफ्ट के अनुसार | रोकड़ बही के अनुसार | अंतर | प्रियासॉफ्ट के अनुसार | रोकड़ बही के अनुसार | अंतर |
| 1 | 2021-22 | 1931109.07 | 1767714.07 | 163395.00 | 1646533.55 | 1247705.80 | 398827.75 |
| 2 | 2022-23 | 2345086.00 | 2345093.00 | 7.00 | 2265544.30 | 2265544.30 | 0.00 |

**(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)**

| **वर्ष** | **प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष** | **बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)** | **अंतर** |
|---|---|---|---|
| 22-23 | 2082197.22 + 456.00 (Cash in Hand) = 2082653.22 | **1779295.22** | **303358.00** |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165A(3) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**7. पंचायत राजस्व राशि ₹3.63 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

**(क) गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹1.29 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिंमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021 से 2023 के दौरान `50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि `129850 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण परिशिष्ट – ख व नीचे तालिका में दिया गया है:-

**सम्पति कर:-**

| वर्ष | पंजीकृत परिवारों की संख्या | दर | आ. शेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 715 | 50 | 58200 | 35750 | 93950 | 1200 | 92750 |
| 2022-23 | 742 | 50 | 92750 | 37100 | 129850 | 0 | 129850 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

**(ख) दकानों से किराया :-**

ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न दुकानों/खोखों का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाकं 31.03.2023 को **₹232800** की राशि दुकानों के किराए के रूप में वसूली हेतू शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट – ख** व निम्न तालिका में दिया गया है :-

| वर्ष | आ. शेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 219600 | 38700 | 258300 | 85400 | 172900 |
| 2022-23 | 172900 | 68700 | 241600 | 8800 | 232800 |

**टिप्पणी:-** अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार , गत अंकेक्षण अवधि के दौरान किसी कारणवश दुकानों से किराए के रूप में वसूली हेतु शेष राशि को गलत दर्शाया गया था जबकी दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.2021 `219600 की राशि वसूली हेतु शेष थी | जिसे वर्तमान अंकेक्षण के दौरान दरुस्त(सही) किया गया है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165(2) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः लाखों रूपये के बकाया पंचायत राजस्व का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

**8 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.90 लाख की सम्भावित राजस्व हानि:-**

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**90450**/- का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

| **नाम** | **मात्रा (cum)** | **फैक्टर** | **कुल मात्रा** | **दर (प्रति टन)** | **राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| रेत | 218.37 | 1.62 | 353.75 | 60 | 21225 |
| बजरी | 295.84 | 1.52 | 449.67 | 60 | 26980 |
| पत्थर | 12.15 | 2.24 | 27.21 | 60 | 1633 |
| रेत | 128.89 | 1.62 | 208.80 | 80 | 16704 |
| बजरी | 47.85 | 1.52 | 72.73 | 80 | 5818 |
| **कुल योग** | | | | | **72360** |
| पेनल्टी 25% | | | | | **18090** |
| **कुल योग** | | | | | **90450/-** |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165B(6) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी प्रस्तुत उतर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः ₹**90450/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए एवं तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102-

Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**9. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों के भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

| **क्र° स°** | **वर्ष** | **चयनित माह** | **चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि** |
|---|---|---|---|
| 1. | 2021-22 | 07/21 | **2146000.00** |
| 2. | 2022-23 | 09/22 | **1718198.00** |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165B(7) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**10. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 07/21 व 09/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 07/21 व 09/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165B(8) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

**11. क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद में भुगतान करने बारे:-**

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियमक 10(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय के लिए आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले **संदाय/भुगतान केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँगे |**

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अदायगियां नगद की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्रम संख्या | वाउचर संख्या/दिनांक | क्रय की गई सामग्री | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | P-2/24.08.2021 | Office Expenses | 1338 |
| 2. | P-27/31.08.2021 | Office Expenses | 3400 |
| 3. | P-73/29.03.2022 | Office Expenses | 2200 |
| 4. | P-36/17.12.2022 | Office Expenses | 2200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | P-52/25.03.2022 | Office Expenses | 1770 |
| **कुल योग** | | | **10908/-** |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158B(11) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियम प्रावधानों के विपरीत नगद में किये गये भुगतानों को सही ठहराते हुये उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में की जाने वाली अदायगीयां का भुगतान उपरोक्त नियम के अनुसार क्रास-चैक द्वारा ही की जाएँ तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

**12. क्रय सामग्री राशि ₹12.25 लाख की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे:-**

हि०प्र० पंचायती राज(वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार प्रत्येक खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹1225576/- के** स्टॉक की प्रविष्टि सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी :-

| क्रम संख्या | बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह | फर्म का नाम | विवरण | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **339**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 72600 |
| 2. | **340**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 58885 |
| 3. | **344**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 68165 |
| 4. | **335**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 67743 |
| 5. | **338**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 59219 |
| 6. | **342**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 61458 |
| 7. | **345**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 66843 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | **341**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 90568 |
| 9. | **332**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 52816 |
| 10. | **383**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 65923 |
| 11. | **382**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 69030 |
| 12. | **376**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 61207 |
| 13. | **381**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 44727 |
| 14. | **380**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 48208 |
| 15. | **336**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 67743 |
| 16. | **378**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 92578 |
| 17. | **377**, दिनाँक 06.07.21 | मै. विवेक कुमार | निर्माण सामग्री (मनरेगा) | 118863 |
| 18. | **489**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 19. | **485**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 20. | **486**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 21. | **487**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 22. | **488**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 23. | **490**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 24. | **491**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 25. | **492**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कंक्रीट वर्क्स | | |
| 26. | **493**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 27. | **497**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 28. | **498**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 29. | **499**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 30. | **500**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 31. | **601**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 32. | **602**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 33. | **603**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 34. | **604**, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 35. | 605, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 36. | 606, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| 37. | 607, दिनाँक 06.07.21 | मै. मैजिक बेस कंक्रीट वर्क्स | (मनरेगा बोर्ड ) | 2950 |
| | | **कुल योग** | | **1225576/-** |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165B(10) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**13. माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-**

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | निर्माण कार्य का नाम | शीर्ष | स्वीकृत राशि | माप पुस्तिका व पेज संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | C/O Kuhal from Bihari land to talli | मनरेगा | 295000 | 93/17825 Pg No. 37-38 |
| 2. | C/O path link road interlocking tiles from Maan chand house to Baldev | मनरेगा | 202000 | 93/17825 Pg No. 97-99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | C/O water course/pagdandi from rajesh kumar land to vijay kumar | मनरेगा | 300000 | 93/17825 Pg No. 77-79 |
| 4. | C/O Safety wall of Shamshan Ghat ward no. 5 | मनरेगा | 300000 | 93/17825 Pg No. 29-32 |
| 5. | C/O Jeepable road from main road to bypass | मनरेगा | 300000 | 93/17825 Pg No. 21-24 |
| 6. | Construction of Park in GPS Birta | $15^{TH}$ FC | 300000 | 180/33131 Pg No. 21-22 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165B(9) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उल्लेखित नियम प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित नकरने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

## 14. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गयी थी, जो कि अनियमित है। उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम | मस्ट्रोल संख्या/अवधि | निर्माण कार्य का नाम | मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि | पंचायतबैठक में उपस्थिति की तिथि | मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि | मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री पवन कुमार, वार्ड पंच | 4759/02.09.2022 से 15.09.2022 | C/O interlocking tiles main road to Anil principal house. | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 300 | 203 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165A(4) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अथवा अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**15 मनरेगा निधि के मस्ट्रोल की गणना में त्रुटि होने के कारण ₹609 का अधिक भुगतान**

अंकेक्षण के दौरान मस्ट्रोलों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल के कुल दिनों के जोड़ों में त्रुटि के कारण **₹609** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

| क्रम संख्या | आवेदक का नाम | मस्ट्रोल संख्या /दिनांक | निधि | मस्ट्रोल के अनुसार भुगतान राशि | वास्तविक भुगतान योग्य राशि | अन्तर की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनीता देवी | 2544/02-07-21 से 02-07-21 | मनरेगा | 2233 | 1827 | 406 |
| 2 | इति कुमारी | 2532/02-07-21 से 02-07-21 | मनरेगा | 2030 | 1827 | 203 |
| **कुल योग** | | | | | | **609/-** |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165A(5) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**16. विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामान की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेंखाकन के फलस्वरूप राशि ₹0.02 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान/व्यय करने बारे:-**

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के अवलोकन में पाया गया कि मै. विवेक कुमार को निर्माण सामग्री (बोल्डर, रेत व बजरी ) की ढुलाई के लिए भुगतान किया गया था परन्तु पुस्तिका में निर्माण सामग्री (बोल्डर, रेत व बजरी ) का संग्रह **निर्माण सामग्री के** ढुलाई के बिल से कम पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रम संख्या | निर्माण कार्य का नाम | माप पुस्तिका संख्या/ पेज संख्या | सामग्री का नाम | माप पुस्तिका के अनुसार संग्रह की गई सामग्री की मात्रा | बिल के अनुसार सामग्री की ढुलाई की मात्रा | अंतर | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सोंदर्यकर्ण खेल मैदान श्मशान घाट | 93/17825 पृष्ट संख्या 17-18 | (बोल्डर, रेत व बजरी ) | 44.89 cubm | 46.89 cubm | 2 cubm | 500 | 1000 |
| | **कुल योग(क)** | | | | | | | **1000/-** |
| 2. | C/O Kuhal (water course) pakdandi satish kumar land to Dunii chand land. | 93/17825 पृष्ट संख्या 19-21 | (बोल्डर, रेत व बजरी ) | 41.22 cubm | 43.22 cubm | 2 cubm | 500 | 1000 |
| | **कुल योग(ख)** | | | | | | | **1000/-** |
| | **कुल योग (क+ख)** | | | | | | | **2000/-** |

**माप पुस्तिका के अनुसार निर्माण सामग्री** (बोल्डर, रेत व बजरी ) **का संग्रह कम दर्शाना व निर्माण सामग्री के** ढुलाई के बिल में सामग्री की मात्रा को अधिक दर्शाना अनियमित व आपतिजनक है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165B(12),(13) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके

प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त कार्यों हेतु संग्रहित निर्माण सामग्री की अपेक्षा सामग्री की ढुलाई के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**17. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-**

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165B(14) दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GPB/03 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

| क्र. स. | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | निवेश रजिस्टर | 1 | 12 |
| 2 | मासिकबैंक समाधान विवरणी | --- | 15(1) |
| 3 | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 9 | 30 |
| 4 | मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77(14) |
| 5 | सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997 | 8 | 34 |
| 6 | स्थाई एवं अस्थाई भण्डा रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना | 25 व 26 | 72(1) (ए,बी) |

**18. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-**

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

**19. लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

**20. निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1741-1745 का० / 50

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)307/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बीरता, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

का० / 50

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT BIRTA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

| YEAR | Opening Balances | Reciepts | Total | Expenditure | Closing Balances |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 172694 | 135631.77 | 308325.77 | 241944.00 | 66381.77 |

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2021 IN CASH BOOK 172694.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT BIRTA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

| YEAR | Opening Balances | Reciepts | Total | Expenditure | Closing Balances |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 66381.77 | 31350.00 | 97731.77 | 90049.00 | 7682.77 |

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 66381.77

J.A

परिशिष्ट - क पैरा 5 के संदर्भ में

## FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP BIRTA BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

| S.NO. | Head | Opening Balances | Reciepts | Total | Expenditure | Closing Balances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14TH FC | 7552 | 164.00 | 7716.00 | 7715.70 | 0.30 |
| 2 | MGNREGA | 0 | 5976258.00 | 5976258.00 | 5976258.00 | 0.00 |
| 3 | ZP | 0 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 4 | 5TH FC | 33022 | 371840.00 | 404862.00 | 354962 | 49900.00 |
| 5 | DPO GRANT | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | MPLAD | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | MMAGY | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | VKVNY | 58321.25 | 20291.00 | 78612.25 | 71069 | 7543.25 |
| 9 | SDRF | 105065 | 39921.00 | 144986.00 | 144986.00 | 0.00 |
| 10 | 13TH FC | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SBM | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | GRDY | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | RGSA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | SDP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | MMGPY | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 15TH FC | 810639.00 | 1179866.30 | 1990505.30 | 427029.10 | 1563476.20 |
| | TOTAL | 1014599.25 | 7608340.30 | 8622939.55 | 6982019.80 | 1640919.75 |

**Note-Due to ommission, Rs. 810639/- OF 15TH FC had not been reflected during last audit by the GP.**

**Note:- As per the previous Audit report the balances of Grants has not been separtaed according to the heas of the schemes, now in the present Audit they have been separated scheme wise.**

heads

## FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP BIRTA BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2022-23

| S.NO. | Head | Opening Balances | Reciepts | Total | Expenditure | Closing Balances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14TH FC | 0.30 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
| 2 | MGNREGA | 0.00 | 7021313.00 | 7021313.00 | 7021313.00 | 0.00 |
| 3 | ZP | 20000.00 | 10000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 |
| 4 | 5TH FC | 49900.00 | 240240 | 290140.00 | 278273 | 11867.00 |
| 5 | DPO GRANT | 0.00 | 400000.00 | 400000.00 | 232319.00 | 167681.00 |
| 6 | MPLAD | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | MMAGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | VKVNY | 7543.25 | 260008 | 267551.25 | 178855 | 88696.25 |
| 9 | SDRF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 13TH FC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SBM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | GRDY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | RGSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | SDP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | MMGPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 15TH FC | 1563476.20 | 1403488.00 | 2966964.20 | 1456041.00 | 1510923.20 |
| | TOTAL | 1640919.75 | 9335056.00 | 10975975.75 | 9196808.30 | 1779167.45 |

**GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK** 1640919.75

J.A

Secretary,
Gram Panchayat Birta
Dev. Block Kangra (H.P.)

Bindu

**BANK DETAIL OF GP BIRTA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA**

**CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21**

| S.NO | HEAD | BANK NAME | ACCOUNT NO | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General/5th FC/VKVNY/SDRF | KCCB KANGRA | 20033022824 | 357446.25 |
| 2 | 14TH FC | HDFCB KANGRA | 50100174100714 | 7552.00 |
| 3 | VKVNY | IDBIB KANGRA | 1159104000057600 | 0.00 |
| 4 | 15TH FC | HDFCB KANGRA | 50100347348792 | 810639.00 |
| 5 | CASH IN HAND | | | 11656.00 |
| | | | TOTAL | 1187293.25 |

**Note-Due to ommission, bank account No 50100347348792 amt to Rs. 810639/- OF 15TH FC had not been reflected during last audit by the GP.**

**CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22**

| S.NO | HEAD | BANK NAME | ACCOUNT NO | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General/5th FC/VKVNY/SDRF | KCCB KANGRA | 20033022824 | 143428.02 |
| 2 | 14TH FC | HDFCB KANGRA | 50100174100714 | 0.30 |
| 3 | VKVNY | IDBIB KANGRA | 1159104000057600 | 291.00 |
| 4 | 15TH FC | HDFCB KANGRA | 50100347348792 | 1563476.20 |
| 5 | CASH IN HAND | | | 106.00 |
| | | | TOTAL | 1707301.52 |

**BANK DETAIL OF GP BIRTA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA**

**CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23**

| S.NO | HEAD | BANK NAME | ACCOUNT NO | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General/5th FC/VKVNY/SDRF | KCCB KANGRA | 20033022824 | 275172.02 |
| 2 | 14TH FC | HDFCB KANGRA | 50100174100714 | 0.00 |
| 3 | VKVNY | IDBIB KANGRA | 1159104000057600 | 299.00 |
| 4 | 15TH FC | HDFCB KANGRA | 50100347348792 | 1503368.20 |
| 5 | CASH IN HAND | | | 456.00 |
| | | | TOTAL | 1779295.22 |

J.A

Secretary
Gram Panchayat Birta
Dev. Block Kangra (H. P.)

हस्ताक्षर Bindu

| Bank reconcilation | | |
|---|---|---|
| | Balance as per Cash Book as on 31.03.2023 | 1786850.22 |
| less | On dated 01.04.2023 Interst Amount of RS. 7555 of 15th FC has been credited into bank but recorded in cash book on dated 31.03.2023 | 7555.00 |
| | **Total** | **1779295.22** |
| | Balance as per Pass Book as on 31.03.2023 | **1779295.22** |

Bindu

Secretary,
Gram Panchayat Bhīrta
Dev. Block Kangra (H. P.)

J.A

परिशिष्ट "ख" पैरा 7 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT BIRTA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

| YEAR | NUMBER OF HOUSEHOLD | RATE | O.BAL | DEMAND | TOTAL | COLLECTION | C.BAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 715 | 50 | 58200 | 35750 | 93950 | 1200 | 92750 |

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT BIRTA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

| YEAR | NUMBER OF HOUSEHOLD | RATE | O.BAL | DEMAND | TOTAL | COLLECTION | C.BAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 742 | 50 | 92750 | 37100 | 129850 | 0 | 129850 |

हस्ताक्षर Bindu
दिनांक

Secretary
Gram Panchayat Birta
Dev. Block Kangra (H.P.)

J.A

परिशिष्ट "ख(1)" पैरा 7 के संदर्भ में

**SHOP RENT AMOUNT OUTSTANDING AS ON 31-03-2023 OF GRAM PANCHAYAT BIRTA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA**

| YEAR | Opening Balance | Demand | Total | Collection | Outstanding Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 219600 | 38700 | 258300 | 85400 | 172900 |
| 2022-23 | 172900 | 68700 | 241600 | 8800 | 232800 |

J.A

हस्ताक्षर Bindu
दिनांक

Secretary
Gram Panchayat Birta
Dev. Block Kangra (H.P.)